12-7-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	251-A के तहत अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 933 रकबा 02 बीघा भूमि ग्राम हिसणिया परवार हल्का हिसणिया तहसील माण्डल मे स्थित है, उक्त भूमि मे आवागमन एंव कृषि यन्त्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी नं. 934 रकबा 03 बिस्वा भूमि मे से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने जवाब के आधार पर वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी एंव वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया व मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अत:	
	:: आदेश ::	
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम हिसणिया परवार हल्का हिसणिया तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नम्बर 933 रकबा 02 बीघा भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु अप्रार्थीगण से. 1, 2 की आराजी नम्बर 934 रकबा 03 बिस्वा भूमि मे से उत्तरी दिशा	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में जा...
	की मेड़ के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी सं. 933 तक दिये जाने का आदेश दिया जाता है. 16 फीट चौड़ाई के रास्ते के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थीगण 1,2 को भुगतान करे। अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जाकर भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	12.8

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा